

राजस्व न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका

अनुसूची 14 फारम सं० 5651
बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116 बी ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

(स्थायी रूप से रक्षणीय)

संयुक्त मुख्य - पृष्ठ और पत्रावरण
(देखें नियम 127 अभिलेख-हस्तक, 1991)
..... विभाग

विश्वेश्वर सोरेण
राजस्थान
राजस्थान

(पहला पत्रा)

केस नं० SR case no 91 वर्ष 06-07 रजिस्टर सं०

इस्टेट परगना तौजी सं०

अर्जीकार -

प्रतिपक्षी

अधिनियम सं० वर्ष के अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाईल किया गया	पत्रों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
						7

आदेश की क्र०
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर
की गई
कार्रवाई

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष लगातर अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद की कार्रवाई में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभय पक्ष के अभिरुची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापत्र एवं संसोधित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।